

प्रेस नोट दिनांक- 16.10.2025

प्रेस नोट दिनांक 16.10.2025

जनपद प्रतापगढ़ पुलिस

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर का अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

तस्करी के शातिर अभियुक्त “लोहा यादव” के विरुद्ध PIT-NDPS एक्ट के अंतर्गत 01 वर्ष के लिए की गई निरुधीकरण की कार्यवाही -

“The Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (PIT NDPS)” की धारा-9(ई) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा धारा-11 के तहत अभियुक्त लोकेश यादव की निरोध अवधि को 01 अगस्त 2025 से आगामी 01 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

प्रतापगढ़ जनपद में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पट्टी क्षेत्रांतर्गत रहने वाले कुख्यात अपराधी लोहा यादव पुत्र स्व. राजबहादुर यादव निवासी ग्राम लवेदा, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध PIT NDPS ACT 1988 की धारा 3(1) के अंतर्गत 01 वर्ष की निरुधीकरण की कार्यवाही की गई है।

उक्त अभियुक्त एक शातिर किस्म का गिरोहबंद अपराधी व NDPS एक्ट के तहत दर्जनों मामलों में वांछित है, जिसकी हिस्ट्रीशीट संख्या 71A है। उसके विरुद्ध 24 से अधिक आपराधिक मुकदमे, जिनमें गांजा तस्करी, गिरोहबंदी, डकैती, लूट व चोरी जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं, पंजीकृत हैं।

अभियुक्त के विरुद्ध प्रमुख कार्यवाहियां-

10.04.2025 को ANTF लखनऊ व थाना पट्टी पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में अभियुक्त को 61 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में मु0अ0सं0 100/2025 धारा 8/20 NDPS ACT थाना पट्टी में पंजीकृत है।

06.01.2023 को जनपद प्रयागराज बार्डर, गनेशगंज पर अभियुक्त को स्विफ्ट डिजायर कार (DL 3C BD 0777) में साथी अभियुक्तों महेन्द्र गौतम, अनिल गौतम व मनोज पाल के साथ 50 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। इस मामले में थाना देल्हूपुर में मु0अ0सं0 04/2023 धारा 08/20/29 NDPS ACT पंजीकृत है, जिसका आरोप पत्र संख्या 20A/2024 न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

06.03.2009 को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त को 2000 नशीली गोलियों (डायजापाम, वजन 380 ग्राम) के साथ गिरफ्तार किया गया था। मु0अ0सं0 78/2009 धारा 22 NDPS ACT पंजीकृत कर, आरोप पत्र संख्या 42/09 न्यायालय भेजा गया।

अभियुक्त लोहा यादव पुत्र स्व0 राज बहादुर यादव निवासी ग्राम हलवेदा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 100/25 धारा 8/20 NDPS Act थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 04/2023 धारा 8/20/29 NDPS Act थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ ।
3. मु0अ0सं0 78/2009 धारा 22 NDPS Act थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।
4. मु0अ0सं0 25/2021 धारा 147/148/149/307/504/506 IPC थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।
5. मु0अ0सं0 63/2022 धारा 386/506 IPC थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।
6. मु0अ0सं0 338/2020 धारा 3/25 A Act थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।
7. मु0अ0सं0 27/2019 धारा 60 Excise Act थाना गौरा जनपद प्रतापगढ़ ।
8. मु0अ0सं0 168/2019 धारा 3/25 A Act थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।
9. मु0अ0सं0 169/2019 धारा 10 गोवध निवारण अधिनियम थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

10. मु0अ0सं0 155/2016 धारा 25 A Act थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।
11. मु0अ0सं0 296/2016 धारा 147/148/307/504/506 IPC थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।
12. मु0अ0सं0 307/2016 धारा 25 A Act थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।
13. मु0अ0सं0 66/2015 धारा 323/504/506 IPC व 3(1)(10) SC/ST Act थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।
14. मु0अ0सं0 314/2015 धारा 147/323/504/506 IPC व 7 CLA Act थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।
15. मु0अ0सं0 376/2015 धारा 323/504/506 IPC व 3(1)(10) SC/ST Act थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।
16. मु0अ0सं0 78/2012 धारा 323/353/504 IPC थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।
17. मु0अ0सं0 38/2010 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।
18. मु0अ0सं0 254/2009 धारा 394/504/506 IPC थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।
19. मु0अ0सं0 265/2009 धारा 394 IPC थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।
20. मु0अ0सं0 422/2009 धारा 392 IPC थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।
21. मु0अ0सं0 549/2009 धारा 392 IPC थाना अजगरा नगर जनपद गाजीपुर ।
22. मु0अ0सं0 838/2009 धारा 379 IPC थाना बदलापुर जनपद जौनपुर ।
23. मु0अ0सं0 201/2008 धारा 323/504/506/324 IPC व 3(1)(10) SC/ST Act थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।
24. मु0अ0सं0 206/2005 धारा 323/504/506/325 IPC व 3(1)(10) SC/ST Act थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

संगठित नेटवर्क एवं समाज पर प्रभाव-

अभियुक्त द्वारा जनपद प्रतापगढ़, सुल्तानपुर व जौनपुर में संगठित गिरोह बनाकर गांजा तस्करी का नेटवर्क स्थापित किया गया है। इसके साथ महेन्द्र

गौतम, अनिल गौतम व मनोज पाल जैसे सहयोगियों को सम्मिलित कर यह अवैध कार्य निरंतर चलाया जा रहा है। इससे क्षेत्र में नशाखोरी में वृद्धि, युवाओं का अपराध की ओर झुकाव व सामाजिक असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो रही थी।

प्रतापगढ़ पुलिस जनपद को नशा मुक्त और सुरक्षित समाज बनाने हेतु प्रतिबद्ध है।

“नशा व अपराध मुक्त प्रतापगढ़ – हमारा संकल्प”

श्री दीपक भूकर
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़

प्रेस नोट दि०-16.10.2025

थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़

थाना अंतू पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अंतू के 30नि० मतगंजन मिश्रा मय हमराह का० नागेन्द्र यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मु०न० 2190/24, मु०अ०स० 16/04 धारा 323,504,427 भादवि थाना अंतू प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त मोतीलाल यादव पुत्र ननकू थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. मोतीलाल यादव पुत्र ननकू थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

30नि० मतगंजन मिश्रा मय हमराह का० नागेन्द्र यादव थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक-16.10.2025

थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़

अपहरण एवं बाल विवाह निषेध अधिनियम से जुड़े अभियुक्त को लीलापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लीलापुर पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को थाना लीलापुर क्षेत्रांतर्गत लीलापुर तीराहे के पास से गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.08.2025 को वादिनी नि०ग्रा० चमरूपुर शुक्लान थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ की बेटी को एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा बहला फुसलाकर लेकर कहीं चला गया। इस संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 193/25 धारा 87/127/2/612/115 (2) बीएनएस व 9/10 बाल विवाह प्रतिषेध अधि० 2006 का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष सिंह के कुशल पर्वेक्षण में थाना लीलापुर प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में 30नि०पवन वर्मा मय हमराह हे०का० एजाज अहमद, मय हस्बुल तलब म०30नि० ज्योति सिंह मय हमराह का विनय यादव चालक का० अजय कुमार यादव द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु०अ०सं० 193/25 धारा 87, 127(2), 61(2), 115 (2) बीएनएस व 9/10 बाल विवाह प्रतिषेध अधि० 2006 थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ में वाँछित 01 अभियुक्त लाखन उर्फ अर्जुन पुत्र बदीनाथ उम्र 29 वर्ष निवासी शान्ति नगर थाना बिलखरिया, जनपद-भोपाल देहात, मध्य प्रदेश को थाना लीलापुर क्षेत्रांतर्गत पूरे लीलापुर तीराहे के पास से गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त का विवरण-

लाखन उर्फ अर्जुन पुत्र बदीनाथ उम्र 29 वर्ष निवासी शान्ति नगर थाना बिलखरिया, जनपद-भोपाल देहात, मध्य प्रदेश ।

भागने का कारण पूछा गया तो बताया कि साहब हमने ग्राम चमरूपुर शुक्लान थाना लीलापुर, प्रतापगढ़ की रहनी वाली पूजा वर्मा पुत्री राकेश कुमार जिससे मैंने शादी किया है जो मुझसे विना बताये मेरे घर से चली आयी थी उसी का पता लगाने के लिए मैं आया था ।

पुलिस टीम-

उ०नि०पवन वर्मा मय हमराह हे०का० एजाज अहमद, मय हस्बुल तलब म०उ०नि० ज्योति सिंह मय हमराह का विनय यादव चालक का० अजय कुमार यादव थाना लीलापुर , जनपद प्रतापगढ़ ।